

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

पत्रांक-क्ष०को०/प०स०भ०-816(खंड-1)/2012/09...../पटना, दिनांक 31/08/2012

प्रेषक

संयुक्त निदेशक-सह-संयुक्त सचिव,
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

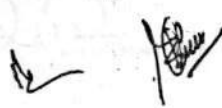
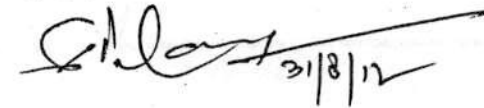
विषय: ₹1212.37 करोड़ की लागत से 1435 पंचायत सरकार भवन की प्रशासनिक स्वीकृति, ₹1.00 करोड़ की राशि का योजना के क्रियान्वयन एवं अन्य आकस्मिक कार्य हेतु व्यय की स्वीकृति तथा वर्ष 2012-13 के दौरान ₹250.00 करोड़ रुपये के कार्य की स्वीकृति।

महाशय,

पंचायत के क्रिया कलापों के सफल क्रियान्वयन के लिए आवश्यकतानुसार कार्यालय भवन का होना आवश्यक है। इसके लिए पंचायत सरकार भवन का Design तैयार किया गया है। भवन में पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों और पंचायत स्तर के कर्मियों के लिए स्थान, ग्राम कचहरी के न्यायालय कक्ष, अभिलेखों के संरक्षण के लिए स्थान, स्टोर, पंचायत/Standing Committee की बैठकों के लिए हॉल, नागरिकों के लिए स्वागत कक्ष, महत्वपूर्ण कर्मियों के लिए आवासीय खण्ड, कम्प्यूटरआईज्ड सेवा प्रदान करने के लिए सेवा केन्द्र, स्टोर, पैन्ट्री एवं शौचालय का प्रावधान किया गया है। इसका उपयोग बहुउद्देशीय होगा। उपर्युक्त कार्यों के अतिरिक्त बाढ़ एवं आपदाओं में भी उसका उपयोग किया जा सकेगा। भवन दो-मंजिला होगा। कुल क्षेत्रफल 5920 वर्गफीट का है। प्राक्कलित राशि - ₹82.00 लाख प्रति पंचायत सरकार भवन है। इससे पंचायतों को अपने कार्य संचालन में जन-सामान्य के प्रति उत्तरदायी बनने और कार्यकलापों की पारदर्शिता सुनिश्चित करने में सुविधा होगी। यह सुशासन की संकल्पना के एकीकृत केन्द्र बिन्दु के रूप में कार्य करेगा।

2. निदेशानुसार कहना है कि पंचायत सरकार भवन निर्माण के संबंध में राज्य सरकार द्वारा निम्नांकित निर्णय लिया गया है:

- (i) ₹1000.00 करोड़ (13वें वित्त आयोग) एवं ₹213.37 करोड़ (राज्य योजना मद) अर्थात् कुल ₹1212.37 करोड़ में 1435 पंचायत सरकार भवन के निर्माण पर तथा ₹1.00 करोड़ की राशि का योजना के क्रियान्वयन एवं अन्य आकस्मिक कार्य हेतु व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई है।

  31/8/12

(ii) वर्ष 2012-13 के दौरान ₹250.00 करोड़ रुपये के कार्य की स्वीकृति प्रदान की गई है।

(iii) भारत सरकार से राशि की विमुक्ति की प्रत्याशा में प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में योजना एवं विकास विभाग की मांग संख्या-35 के अंतर्गत राशि उपबंधित कराने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

3. सभी पंचायतों में पंचायत सरकार भवन बनाये जायेंगे। तत्काल वर्ष 2012-13 से लेकर वर्ष 2014-15 तक 1435 पंचायत सरकार भवन बनाने का कार्यक्रम है। 1 (एक) पंचायत सरकार भवन की प्राक्कलित राशि ₹82.00 लाख रुपये है और प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि अनुमानित है। प्रतिवर्ष बनाये जाने वाले भवनों की संख्या और लागत राशि निम्न प्रकार है:

वित्तीय वर्ष	कार्य प्रारम्भ होने वाले भवन की संख्या	कार्य पूर्ण होने वाले भवन की संख्या	भवन निर्माण के लिए व्यय (राशि करोड़ रु० में)	अनुश्रवण एवं अन्य आकस्मिक व्यय (राशि करोड़ रु० में)	कुल अनुमानित व्यय (राशि करोड़ रु० में)
1	2	3	4	5	6
2012-13	1000@82 Lac	--	249.75	0.25	250.00
2013-14	435@90.20 Lac	950	500.00	0.25	500.25
2014-15	--	485	462.62	0.25	462.87
2015-16	--	--	--	0.25	0.25
कुल योग:	1435	1435	1212.37	1.00	1213.37

प्राक्कलन एवं डिजाईन एनेक्सर-1 के रूप में संलग्न है।

4. पंचायत सरकार भवन निर्माण हेतु विभिन्न स्रोतों से वर्षवार राशि निम्न प्रकार प्राप्त होगी:

वित्तीय वर्ष	भारत सरकार से प्राप्त होनेवाली राशि (राशि करोड़ रु० में)	राज्य योजना मद से प्राप्त होने वाली राशि (राशि करोड़ रु० में)
1	2	3
वर्ष 2011-12	250.00	
वर्ष 2012-13	250.00	
वर्ष 2013-14	250.00	
वर्ष 2014-15	250.00	213.37
योग:	1000.00	213.37

5. पंचायत सरकार भवन विभिन्न जिलों में पंचायतों की संख्या के अनुपात में बनाये जायेंगे। इस आधार पर की गई गणना के अनुसार जिलावार बनाये जाने वाले भवनों की संख्या संलग्न एनेक्सर-2 के कॉलम 4 में अंकित है।

पंचायत सरकार भवनों का निर्माण जिले में यथा सम्भव हर तरफ समानुपातिक रूप से वितरित होगा। इसके लिए औसत 5.8 पंचायत की दर से क्लस्टर बनाये गए हैं। क्लस्टर यथा सम्भव भौगोलिक रूप से कम्पैक्ट एरिया के रूप में चिन्हित हैं। सभी जिलों के लिए क्लस्टर तैयार कर लिये गये हैं। जिलावार क्लस्टरों का संख्यांकन किया गया है। 1404 क्लस्टर ऐसे हैं जिनमें 5 अथवा 6 पंचायतें हैं। भौगोलिक रूप से कम्पैक्ट एरिया के निर्धारण के क्रम में कहीं-कहीं 8, 7, 4, 3 पंचायतें भी हैं, लेकिन ऐसे क्लस्टरों की संख्या कुल 31 है।

6. प्रतिवर्ष लक्ष्य के अनुकूल क्लस्टरों का चुनाव:-1000 पंचायत सरकार भवनों का निर्माण कार्य वर्ष 2012-13 में तथा शेष 435 का वर्ष 2013-14 में प्रारंभ किया जायेगा। जिलावार वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 में कार्य प्रारंभ कराये जाने वाले क्लस्टरों की संख्या एनेक्सर-2 के क्रमशः कॉलम-6 एवं 8 में अंकित है।

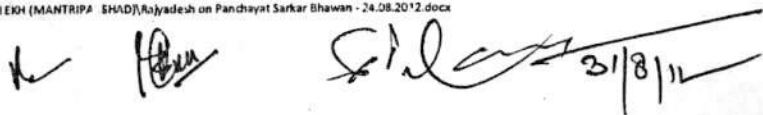
वर्ष 2012-13 में लिये जाने वाले पंचायत सरकार भवन से संबंधित क्लस्टरों का चुनाव करने के लिए प्रत्येक जिले में पंचायतों की संख्या के आधार पर प्रखंडवार संख्या तय की गई है। प्रत्येक प्रखंड में अवस्थित प्रत्येक क्लस्टर के लिए "औसत आबादी प्रति पंचायत" की गणना की गयी है। "औसत आबादी प्रति पंचायत" के आधार पर क्लस्टरों को घटते क्रम में सूचीबद्ध किया गया है। प्रखंडवार निर्माण कार्य के लिए क्लस्टर का चुनाव उक्त सूची से वरीयता क्रम में किया गया है। इस प्रकार विभिन्न जिलों में भिन्न-भिन्न वर्षों में जिन-जिन क्लस्टरों में निर्माण कार्य होंगे, उनका विवरण एनेक्सर-3 के रूप में संलग्न है।

7. क्लस्टर के अन्तर्गत पंचायत के चुनाव का आधार:-पंचायत सरकार भवन निर्माण के लिए चयनित क्लस्टर की सभी पंचायतों से एक महीने का समय देकर जमीन उपलब्ध कराने के लिए जिला पदाधिकारी अपेक्षा करेंगे। पंचायत निर्धारित तिथि के अन्दर जमीन उपलब्ध कराने के संबंध में निम्न विवरणी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी कार्यालय में उपस्थापित कर सकेंगे -

1. खतियान की प्रति।
2. जमीन पंचायत सरकार भवन बनाने के लिए उपयुक्त है इससे संबंधित अंचल अधिकारी का पत्र।
3. यदि दान में जमीन दी गयी है तो राज्यपाल के नाम निबंधित दस्तावेज़ की प्रति।

8. पंचायत सरकार भवन निर्माण के लिए आवश्यक शर्तें निम्नांकित होंगी:

- (क) न्यूनतम 50 डिसमिल जमीन की आवश्यकता होगी।
- (ख) पंचायत सरकार भवन ग्राम पंचायत के मुख्यालय गाँव में बनाया जाएगा।
- (ग) पंचायत सरकार भवन यथा संभव सरकारी/सार्वजनिक भूमि पर बनाया जाएगा। सरकारी/सार्वजनिक भूमि उपलब्ध नहीं रहने की स्थिति में ऐसी भूमि बिहार

 21/8/12

राज्यपाल के नाम से निबंधित कर दान स्वरूप दी जा सकती है, जो विवादग्रस्त नहीं हो, जलजमाव से मुक्त हो, दाता का उस भू-खण्ड पर स्वामित्व एवं दखल स्थापित हो, तथा ऐसी जगह पर हो जहाँ गाँव के सभी वर्ग के लोग निर्भय होकर आ जा सकें।

निर्धारित तिथि तक यदि एक से अधिक पंचायतें जमीन उपलब्ध करा देती हैं तो जिलाधिकारी पंचायत सरकार भवन निर्माण के लिए उस पंचायत का चयन करेंगे जिसकी आबादी सबसे अधिक है। टाई की स्थिति में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति की आबादी के आधार पर निर्णय लिये जायेंगे।

यदि किसी कलस्टर के लिए कोई भी पंचायत निर्धारित तिथि तक जमीन उपलब्ध नहीं करा पाती है तो उस कलस्टर में तत्काल पंचायत सरकार भवन का निर्माण नहीं होगा और उसके स्थान पर अगले वर्ष लिये जाने वाले प्रथम कलस्टर को चुना जाएगा।

9. पंचायत सरकार भवन का निर्माण कार्य योजना एवं विकास विभाग के अधीन गठित स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन द्वारा कराया जाएगा। स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन निर्माण कार्यों को ससमय पूर्ण करने एवं निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु एक विशेष कोषांग गठित करेगा। पंचायत राज विभाग आवश्यक राशि योजना एवं विकास विभाग के मांग में प्रत्येक वर्ष उपबंधित कराएगा।

10. योजना के कार्यान्वयन के अनुश्रवण हेतु एक समिति निम्न प्रकार गठित की जाती है:

1. प्रधान सचिव/सचिव, पंचायती राज विभाग
2. प्रधान सचिव/सचिव, योजना एवं विकास विभाग
3. मुख्य अभियन्ता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, योजना एवं विकास विभाग

समिति पंचायत सरकार भवन के निर्माण के लिए पंचायतों का चयन, भूमि की उपलब्धता, निर्धारित समय-सीमा के अन्तर्गत निर्माण कार्य एवं निर्माण कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु नियमित अन्तराल पर समीक्षा करेगी। पंचायत राज विभाग में योजना के अनुश्रवण हेतु एक पृथक कोषांग का गठन किया जाएगा।

11. पंचायती राज विभाग के स्तर पर किये जाने वाले व्यय विभाग की मांग संख्या-16 के अंतर्गत निम्नांकित बजट शीर्ष में उपबंधित राशि से किया जायेगा।

(क) "मुख्यशीर्ष-4515- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-उपमुख्य शीर्ष-00-लघुशीर्ष- 101-पंचायती राज- उपशीर्ष 0104-पंचायत सरकार भवन-वित्त आयोग की अनुशंसा"

इसका विपत्र कोड-P4515001010104 एवं योजना कोड- PNR5328 है।

(ख) "मुख्यशीर्ष-4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-उपमुख्य शीर्ष-00- लघुशीर्ष-789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-उपशीर्ष-0102-पंचायत सरकार भवन-वित्त आयोग की अनुशंसा"

इसका विपत्र कोड-P4515007890102 एवं योजना कोड- PNR5328 है।

राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अवर सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना होंगे। राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, नया सचिवालय, पटना से की जायेगी।

पंचायती राज विभाग के अन्तर्गत वर्ष 2012-13 में मांग संख्या-16 में उपबंध कराई गई राशि में से अनुश्रवण एवं आकस्मिक कार्य के लिए राशि को छोड़कर शेष राशि प्रत्यर्पित की जायेगी एवं योजना एवं विकास विभाग की मांग संख्या-35 के अंतर्गत राशि उपबंधित करायी जायेगी।

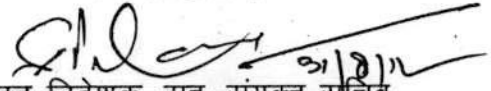
12. योजना एवं विकास विभाग द्वारा उनकी मांग संख्या-35 के अन्तर्गत उपबंधित करायी गई राशि से स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन को राशि आवंटित की जायेगी, जिसमें निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी घोषित करते हुये कोषागार का नाम अंकित किया जायेगा। आवंटनादेश की एक प्रति पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को भी उपलब्ध करायी जायेगी।

13. योजना एवं विकास विभाग द्वारा राशि का वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र 31 मार्च, 2013 तक इस विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।

14. योजना की स्वीकृति में सक्षम प्राधिकार (मंत्रिपरिषद्) का अनुमोदन दिनांक 17.08.2012 को संचिका संख्या-क्ष0 को/पं0स0भ0-816/2012 (खंड-1) के पृष्ठ 16/टि0 पर प्राप्त है।

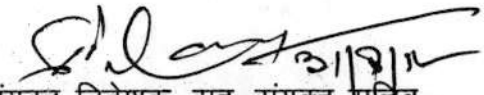
15. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका के पृष्ठ ...17.../टि0 पर प्राप्त है।

विश्वासभाजन,


संयुक्त निदेशक-सह-संयुक्त सचिव,
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक-क्ष0को0/पं0स0भ0-816(खंड-1)/2012/.....09...../पटना, दिनांक ...31.../08.../2012

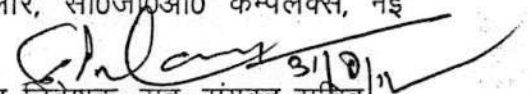
प्रतिलिपि - प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग/मुख्य अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, योजना एवं विकास विभाग/सभी जिला पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


संयुक्त निदेशक-सह-संयुक्त सचिव,
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक-क्ष0को0/पं0स0भ0-816(खंड-1)/2012/.....09...../पटना, दिनांक ...31.../08.../2012

प्रतिलिपि - संयुक्त सचिव, भारत सरकार, पंचायती राज मंत्रालय, 11वाँ फ्लोर, जीवन प्रकाश भवन, के0सी0 मार्ग, नई दिल्ली/संयुक्त निदेशक (एफ0सी0डी0), भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, फाईनान्स कमीशन डिविजन, ब्लॉक नं0-XI, पाँचवा फ्लोर, सी0जी0ओ0 कम्पलेक्स, नई दिल्ली को सूचनार्थ प्रेषित।




संयुक्त निदेशक-सह-संयुक्त सचिव,
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

कल्पना कुमारी,
अनुश्रवण पदाधिकारी

सेवा में,

जिला पंचायत राज पदाधिकारी,
नालन्दा, कैमूर, नवादा, जहानाबाद, सहरसा,
किशनगंज तथा जमुई।

पटना, दिनांक 23/11/2020

विषय : विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 23(स्वी०) दिनांक 18.09.2020 द्वारा पंचायत सरकार भवनों के निर्माण हेतु स्वीकृत कुल ₹41,07,82,000.00 (इकतालीस करोड़ सात लाख बयासी हजार रुपये) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय राज्यादेश संख्या 03(स्वी०) दिनांक 03.06.2019 के आलोक में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 23(स्वी०) दिनांक 18.09.2020 द्वारा पंचायत सरकार के भवनों के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 में कुल ₹41,07,82,000.00 (इकतालीस करोड़ सात लाख बयासी हजार रुपये) मात्र की राशि की स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. उक्त के आलोक में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 23(स्वी०) दिनांक 18.09.2020 के साथ संलग्न अनुलग्नक-1 के अनुरूप कुल ₹41,07,82,000.00 (इकतालीस करोड़ सात लाख बयासी हजार रुपये) मात्र की राशि वित्तीय वर्ष 2020-21 में आवंटित की जाती है।

3. इस आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिले के जिला पंचायत राज पदाधिकारी होंगे। इस आवंटित राशि को जिला पंचायत राज पदाधिकारी द्वारा जिला पदाधिकारी से प्राप्त लक्ष्य की सूची के अनुरूप संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी को उपावंटित किया जायेगा, जिसके आलोक में प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा निकासी कर संबंधित ग्राम पंचायतों को उपलब्ध कराया जायेगा। इस आवंटित राशि की निकासी संबंधित जिला कोषागार से बिहार कोषागार सहिता, 2011 के सुसंगत नियमों के आलोक में करेंगे।

4. इस आवंटित राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2020-21 में मांग संख्या-16 के राज्य स्कीम अंतर्गत "मुख्य शीर्ष-4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-उपमुख्य शीर्ष-00-लघुशीर्ष-101-पंचायती राज-उपशीर्ष-0108-पंचायत सरकार भवन" मद के विषय शीर्ष '0108.53.01-मुख्य निर्माण कार्य' इकाई से किया जायेगा। इसका विपत्र कोड 16-4515001010108 है।

5. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम-4-05/98-2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998 एवं 383 दिनांक 20.03.2020 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

6. इस आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही की जाये। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

7. इस आवंटन को व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाए। राशि का व्यय सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नियमों के आलोक में की जाये, ताकि कोई व्यय अथवा राशि की निकासी अनियमित नहीं हो।
8. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि का स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।
9. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।
10. इस आवंटन आदेश के सभी पृष्ठ अनुश्रवण पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना द्वारा हस्ताक्षरित हैं।
11. इस आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में विभागीय अपर मुख्य सचिव का अनुमोदन संचिका संख्या 5प/राज्य स्कीम-02-03/2019 के पृष्ठ संख्या 22../टि० पर दिनांक 1.8/11/2020 को प्राप्त है।
12. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन

(कल्पना कुमारी)

अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांक : 5प/राज्य स्कीम-02-03/2019/46(आ०)/पं०रा० पटना, दिनांक 23/11/2020
प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी/संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बिहार/प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा-02 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(कल्पना कुमारी)

अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांक : 5प/राज्य स्कीम-02-03/2019/46(आ०)/पं०रा० पटना, दिनांक 23/11/2020
प्रतिलिपि: आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(कल्पना कुमारी)

अनुश्रवण पदाधिकारी

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

कल्पना कुमारी,
अनुश्रवण पदाधिकारी

सेवा में,

सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी,
बिहार।

पटना, दिनांक 15/3/2021

विषय : विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 49(स्वी०) दिनांक 15.03.2021 द्वारा पंचायत सरकार भवनों के निर्माण हेतु स्वीकृत कुल ₹1,49,65,18,000.00 (एक अरब उनचास करोड़ पैंसठ लाख अठारह हजार रुपये) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय राज्यादेश संख्या 03(स्वी०) दिनांक 03.06.2019 के आलोक में पंचायत सरकार के भवनों के निर्माण हेतु विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 49(स्वी०) दिनांक 15.03.2021 के साथ संलग्न अनुलग्नक-1 के अनुरूप कुल ₹1,49,65,18,000.00 (एक अरब उनचास करोड़ पैंसठ लाख अठारह हजार रुपये) मात्र की राशि की निकासी की स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्रदान की गई है।

2. उक्त के आलोक में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 49(स्वी०) दिनांक 15.03.2021 के साथ संलग्न अनुलग्नक-1 के अनुरूप कुल ₹1,49,65,18,000.00 (एक अरब उनचास करोड़ पैंसठ लाख अठारह हजार रुपये) मात्र की राशि वित्तीय वर्ष 2020-21 में आवंटित की जाती है।

3. इस आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिले के जिला पंचायत राज पदाधिकारी होंगे। इस आवंटित राशि को जिला पंचायत राज पदाधिकारी द्वारा जिला पदाधिकारी से प्राप्त लक्ष्य की सूची के अनुरूप संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी को उपावंटित किया जायेगा, जिसके आलोक में प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा निकासी कर संबंधित ग्राम पंचायतों को उपलब्ध कराया जायेगा। इस आवंटित राशि की निकासी संबंधित जिला कोषागार से बिहार कोषागार संहिता, 2011 के सुसंगत नियमों के आलोक में करेंगे।

4. इस आवंटित राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2020-21 में मांग संख्या-16 के राज्य स्कीम अंतर्गत "मुख्य शीर्ष-4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-उपमुख्य शीर्ष-00-लघुशीर्ष-101-पंचायती राज-उपशीर्ष-0108-पंचायत सरकार भवन" मद के विषय शीर्ष '0108.53.01-मुख्य निर्माण कार्य' इकाई से किया जायेगा। इसका विपत्र कोड 16-4515001010108 है।

5. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम-4-05/98-2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998 एवं 383 दिनांक 20.03.2020 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

6. इस आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही की जाये। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

7. इस आवंटन को व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाए। राशि का व्यय सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नियमों के आलोक में की जाये, ताकि कोई व्यय अथवा राशि की निकासी अनियमित नहीं हो।
8. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि का स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।
9. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।
10. इस आवंटन आदेश के सभी पृष्ठ अनुश्रवण पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना द्वारा हस्ताक्षरित हैं।
11. इस आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में विभागीय अपर मुख्य सचिव का अनुमोदन संचिका संख्या 5प/राज्य स्कीम-02-03/2019 के पृष्ठ संख्या 55/टि० पर दिनांक 15.03.2021 को प्राप्त है।
12. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन

(कल्पना कुमारी)

अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांक : 5प/राज्य स्कीम-02-03/2019/78(आ०)/पं०रा० पटना, दिनांक 15/3/2021

प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/सभी संबंधित जिला पदाधिकारी/सभी संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी/सभी संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बिहार/प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा-02 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(कल्पना कुमारी)

अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांक : 5प/राज्य स्कीम-02-03/2019/78(आ०)/पं०रा० पटना, दिनांक 15/3/2021

प्रतिलिपि: आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(कल्पना कुमारी)

अनुश्रवण पदाधिकारी

[Signature]